भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग वभाग

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं. 120
02 फरवरी, 2021 को उत्तर के लए नियत

"राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबि लटी मशन योजना"

120. साध्वी प्रज्ञा संह ठाकुर:
श्री सुब्रत पाठक:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) सरकार राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबि लटी मशन योजना (एनईएमएमपी) 2020 के अन्तर्गत अपने कार्य के लए कस प्रकार से प्रतिबद्ध है और सरकार की ई-वाहनों हेतु सभी राज्यों में चार्जिंग उप-स्टेशन स्था पत करने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2022 के पश्चात प्रत्येक वर्ष छह से सात म लयन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के वनिर्माण संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कए जा रहे व भन्न प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत फेम इं डया योजना सरकार की कस प्रकार से सहायता कर रही है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (घ): नेशनल इलेक्ट्रिक मोबि लटी मशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं उनके वनिर्माण के लए वजन तथा रोडमैप उपलब्ध कराने वाला एक राष्ट्रीय मशन दस्तावेज है।

एनईएमएमपी 2020 के भाग के रूप में, भारी उद्योग वभाग ने देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवीज) को बढ़ावा देने हेतु मार्च, 2015 में एक योजना नामत: भारत में (हाईब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं वनिर्माण (फेम इं डया) स्कीम तैयार की। योजना का चरण-I, 31 मार्च 2019 तक उपलब्ध था। योजना में चार मुख्य क्षेत्रों पर बल दिया गया था: मांग सृजन, प्रायोजिक परियोजना, प्रौद्यो गकी वकास/आर एण्ड डी और चार्जिंग अवसंरचना।

फेम इं डया योजना के चरण-I के दौरान प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर और उद्योग एवं उद्योग संघों सहित सभी पक्षों से परामर्श के बाद, सरकार ने फेम इं डया योजना के चरण-II को अ धसू चत कया जो 10,000 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आरम्भ होकर तीन वर्षों की अव ध के लए है। यह चरण मुख्यत: सार्वजनिक और साझा परिवहन के वद्युतीकरण के लए सहायता पर केन्द्रित है और इसमें मांग प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लए

सहायता देने का लक्ष्य है। इस सन्दर्भ में, योजना के अन्तर्गत चार्जिंग अवसंरचना निर्माण के लए भी सहायता दी जाती है।

मांग सृजन के अंतर्गत, एक्सईवीज को खरीदते समय वक्रेता द्वारा इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के क्रेता को क्रय मूल्य में तत्काल छूट दी जा रही है।

योजना के प्रथम चरण में लगभग 359 करोड़ रुपये के मांग प्रोत्साहन के साथ लगभग 2.8 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के लए सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 280 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता से यथासंस्वीकृत 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें देश के व भन्न शहरों में तैनात हैं। फेम इं डया योजना के चरण-। के अंतर्गत भारी उद्योग वभाग ने 43 करोड़ रुपये (लगभग) की लागत से लगभग 520 चार्जिंग स्टेशनों / अवसंरचना को भी मंजूर कया था।

फेम इं डया योजना के चरण-।। के तहत दिनांक 27.01.2021 तक लगभग 143 करोड़ रुपये के मांग प्रोत्साहन से 46,338 इलेक्ट्रिक वाहनों के लए सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, योजना के चरण-।। के अंतर्गत व भन्न राज्यों/शहर परिवहन उपक्रमों के लए 6265 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी गई है। इसमें लगभग 3000 करोड़ रुपये का सरकारी प्रोत्साहन शा मल है।

भारी उद्योग ने फेम इं डया (भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित अंगीकरण) योजना चरण-।। के तहत 500 करोड़ रुपये (लगभग) की रा श से 2,877 इलेक्ट्रिक वाहनों (इवीज) की 25 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 68 शहरों के लए चार्जिंग स्टेशनों की भी संस्वीकृति दी है।

इसके अलावा देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लए सरकार द्वारा निम्न ल खत पहलें भी की गई हैं:-

(i) इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(ii) वद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लए 'सेवा'के रूप में बिजली की बिक्री की अनुमति दी है। इससे चार्जिंग अवसंरचना में आकर्षक निवेश के लए एक बड़ा प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

(iii) सरकार ने दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के एस.ओ. 5333 (ई) के द्वारा बैटरी-चा लत यातायात वाहनों और ईथानोल और मेथानोल से चलने वाले यातायात वाहनों को पर मट की आवश्यकता से छूट दी है।

(iv) वर्ष 2019-20 के बजट में माननीय वत्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लए प्राप्त ऋण पर देय ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर छूट उपलब्ध कराने की घोषणा की।

*****